

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सोन नहर प्रमंडल, बक्सर।

कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०- 03/2025-26


मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 50, दिनांक-06.01.2026 के आलोक में सोन नहर प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत कार्यालय में अति आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन दिनांक-17.02.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे खोला जायेगा। कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाताओं/आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

कोटेशन आमंत्रित की जाने वाली वस्तु का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	सामग्रियों का नाम	Quantity	Rate Per Unit	
			In Words	In Figure
01	ऑफिस अलमीरा (6.5'×3')	1 अदद		
02	ऑफिस टेबल (5'×3'× 2.5')	1 अदद		
03	कुर्सी (Executive Chair)	1 अदद		
04	रैक (5 फीट, 06 स्लैब)	1 अदद		
05	बड़ा टेबल (6'×3'× 2.5') L Corner- 3'	1 अदद		
06	सिलिंग फैन (1200 mm)	1 अदद		
07	कूलर (90 लीटर)	1 अदद		
08	गोदरेज रिवालविंग चेयर 9UOIR	1 अदद		
09	इनवर्टर (Capacity-1450)	1 अदद		
10	बैट्री 230 mAh	1 अदद		
11	Water Purifier 8L/20LPH Flow	1 अदद		
12	वाटर टैंक 1000 लीटर	1 अदद		
13	कलर प्रिन्टर (HP Tank 790 WiFi)	1 अदद		
14	कम्प्युटर टेबल (4'× 2.5')	1 अदद		
15	स्टैंड फैन (400 mm)	1 अदद		


कोटेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय अवधि में या दूरभाष सं०- 9955890212 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन


30/01/26

कार्यपालक अभियंता,

सोन नहर प्रमंडल, बक्सर।


30/01/26

नियम एवं शर्त:-

1. कोटेशन के मुहरबंद लिफाफे पर एजेंसी/आपूर्तिकर्ता का नाम, पता, एवं दूरभाष/मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. कोटेशन दाताओं को अपना दर/राशि अंक एवं शब्दों में प्रति यूनिट सभी कर एवं डुलाई सहित उद्धृत करना होगा। साथ ही सभी उपस्करों का अधिष्ठापन संबंधित कार्यालय में करना होगा।
3. कोटेशन दाताओं को कोटेशन के साथ GST निबंधन, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कोटेशन पर GST No. अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. कोटेशन दाता द्वारा उद्धृत दर के आधार पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के उपरान्त ही न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले से सामाग्रियों का आपूर्ति कराया जायेगा।
6. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. कोटेशन में उद्धृत सामाग्रियों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
8. अधोहस्ताक्षरी के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

६०

कार्यपालक अभियंता,

सोन नहर प्रमंडल, बक्सर।

पत्रांक- 177 / बक्सर,

दिनांक- 30/11/2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग पटना को Soft Copy के साथ कोटेशन आमंत्रण सूचना की प्रति प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ समर्पित।

[Handwritten Signature]
30/11/26

कार्यपालक अभियंता,

सोन नहर प्रमंडल, बक्सर।

[Handwritten Signature]
30/11/26

[Handwritten Signature]
30/11/26